फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया

भीलवाड़ा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में आने वाले एमएलवी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज कुमार पर गाज गिर सकती है!

- असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज कुमार ने लो विजन बताकर नौकरी ली, लेकिन कॉलेज में बिना चश्मे के ही आराम से पढ़ते-पढ़ाते हैं
- अब जयपुर स्तर से कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट निकाली है, इनमें एक नाम पंकज कुमार चौधरी का भी है

भीलवाड़ा, (निसं)। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाली करेड़ा कार्यवाहक तहसीलदार कंचन सिंह का मामला पुराना भी नहीं हुआ था कि एक और नया मामला सामने आ गया है। भीलवाड़ा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में आने वाले एक और सरकारी कार्मिक पर गाज गिर सकती है। अब बस इंतजार मेडिकल टेस्ट का है। इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। पहले जिला स्तर पर इसको लेकर टेस्ट शुरू हो चुका है। इस बीच अब जयपुर स्तर से आदेश जारी हो गए।

जानकारी के अनुसार मामला एमएलवी कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज कुमार चौधरी का है। ये भीलवाड़ा के हुरड़ा निवासी हैं। इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हुआ है। इन्होंने अपने दिव्यांग सर्टिफिकेट में 'लॉ विजन' (यानी कम दिखना) बताकर रिजर्वेशन का फायदा लिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कामयाब हो गए, लेकिन अब परेशानी यह है कि कॉलेज में पढ़ाते या पढ़ते वक्त किसी ने इन्हें चश्मा लगाते नहीं देखा। यहां तक कि शाम के वक्त भी बिना चश्मे के आराम से किताब पढ़ लेते हैं। ऐसे में चर्चाओं में आ गए हैं। कार्यवाहक तहसीलदार कंचन सिंह का मामला उछलने के बाद से दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लगे कार्मिकों के फिर से मेडिकल टेस्ट होना शुरू हो गए।

अब जयपुर स्तर से कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट निकाली है, जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की है। इनमें एक नाम पंकज कुमार चौधरी का भी है। इनका भी मेडिकल टेस्ट होगा। पहले एमजी अस्पताल में टेस्ट होना था लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहां मशीनों का अभाव बताकर पूरा टेस्ट नहीं हो सका है।

जानकार हैरानी होगी कि आज एमजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी तक सुविधा विकसित नहीं हुई, लेकिन पंकज कुमार का पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट भी भीलवाड़ा एमजी अस्पताल की जांचों के आधार पर ही बना था, जिसे तत्कालीन सीएमएचओ ने जारी किया था।

एमजी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरूण गौड़ ने बताया कि मेडिकल बोर्ड गठित किया था, जिसने पंकज कुमार की जांच की थी, लेकिन इन्हें रेटिना संबंधी कुछ परेशानी है, जिसकी जांच के लिए एडवांस सेंटर के लिए कहा है। वहां से इनकी जांच होने के बाद मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही मेडिकल बोर्ड फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सकेगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज कुमार का कहना है कि बचपन से ही विजन में परेशानी है, लेकिन इलाज नहीं मिला। जब सर्टिफिकेट बना तब पता चला कि मुझे यह रेटिना की परेशानी है जो कि लाइलाज है।

आयोग ने प्रवेश पत्र जारी किए

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। परीक्षा के लिए पंजीकृत 92600 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं।

आयोग सचिव ने बताया कि उच्च न्यायालय की एकलपीठ के स्थगन आदेश 3 दिसंबर 2025 के विरूद्ध आयोग द्वारा खंडपीठ में 4 दिसंबर 2025 को अपील दायर की गई थी। इस पर 5 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा पाठ्यक्रम जारी करने संबंधी तथ्य न्यायालय के समक्ष रखते हुए परीक्षा नियत समय पर कराए जाने की अनुमति के लिए प्रार्थना की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ द्वारा परीक्षा कराए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। परीक्षा अन्तर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र प्रथम) की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्रों की परीक्षा का आयोजन 8 से 20 दिसंबर तक प्रतिदिन दो पारियों में किया जाएगा। प्रथम पारी (प्रश्न-पत्र प्रथम) का समय सुबह 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पारी (प्रश्न-पत्र द्वितीय) का समय दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे तक रहेगा।

सायबर ठगी के आरोप में छह जने गिरफ्तार

जुरहरा/भरतपुर, (निसं)। पुलिस ने सायबर ठगी के आरोप में 6 जनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से पांच एंड्राइड मोबाइल फोन व 8 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं।

जुरहरा थानाधिकारी अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने जुरहरा से सतपुडा की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित गैस एजेन्सी के पास ग्राम सतपुडा के खेतों में बैठकर सायबर ठगी हुए 6 जनों को गिरफ्तार किया गया है।

थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि जुरहरा से सतपुडा की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित गैस एजेन्सी के सामने खेतों में बैठकर कुछ व्यक्ति सायबर ठगी कर रहे हैं। जिस पर थाना जुरहरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पर कुछ व्यक्ति मोबाइल फोन चलाते हुए दिखाई दिए। जिस पर पुलिस टीम ने जुरसेद पुत्र बिल्लू मेव, सोहेल पुत्र टिल्लु मेव, मजलिस पुत्र मूसा मेव, सोयब पुत्र पप्पू मेव , आलिम पुत्र महमूद मेव, मोमीन पुत्र जमशेद मेव को गिरफ्तार किया।

कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर
Tel No. 01462-258665, 257509 Email - npbeawar@gmail.com

क्रमांक /नपब्या./स्वास्थ्य /2025-26/9822 दिनांक - 02.12.2025

ई-दर संविदा सुचना

निम्नाकिंत विवरण के अनुसार वित्तिय वर्ष 2025-26 के लिए ई दर संविदा ई-पोक्यूरमेट पोर्टल राजस्थान पर दिनांक 16.12.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित है। विस्तृत शर्तें ई दर संविदा फार्म के साथ संलग्न है। यह दस्तावेज एस.पी.पी. पोर्टल पर एवम् ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है।

NIB - DLB2526A8683 UBN - DLB2526SLOB26010

क्रं. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	ई दर संविदा फार्म शुल्क	ई दर संविदा प्रोसेसिंग शुल्क
1	परिषद क्षेत्र के वार्ड सं. 1 से 60 में आवारा श्वानों (नर-मादा) को पकड़ने, बन्ध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य	15.50 लाख	31,000	1000	500

राज.संवाद/सी/25/15192 प्रशासक नगर परिषद्, ब्यावर आयुक्त नगर परिषद्, ब्यावर

दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या, आरोपी फरार

- युवती को जब उसकी मां बचाने आई तो उसे डिग्गी में फेंक दिया

बीकानेर, (निसं)। एक 18 साल की युवती से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। युवती को जब उसकी मां बचाने आई तो आरोपियों ने उसे डिग्गी में फेंक दिया। मामला जिले के सरूणा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

परिजनों का कहना था कि पुलिस ने पहले सामान्य घटना देखते हुए मर्ग दर्ज किया। इसके विरोध में वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद देर रात 12 बजे हत्या और रेप का मामला दर्ज किया गया। इधर, आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह से ग्रामीण धरने पर बैठ गए।

इस मामले में श्रीडूंगरगढ़ सीओ निकेत पारीक का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मृतका की मां ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ खेत पर रहती है। खेत ठेके पर दिया हुआ था। यहां काम करने के लिए दो मजदूरों को काम पर रखा हुआ था। ये दोनों डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं। मृतका की मां ने बताया कि 3 दिसम्बर की रात करीब 10:30 बजे एक मजदूर ने ढाणी में आकर चाय पिलाने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन, ज्यादा सर्दी होने की बात कहकर वे बार-बार चाय पिलाने का कहने लगे तो उन्होंने चाय बना दी। इसके बाद बेटी को चाय देकर आने के लिए बोला। कुछ देर बाद बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। महिला ने बताया कि जब वे वहां पहुंची तो दोनों मजदूरों ने बेटी को दबोच कर रखा था। वे चिल्लाने लगी तो उसे डिग्गी में फेंक दिया। इस दौरान उसके साथ धक्का-मुक्की कर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए। डिग्गी को तोड़कर पानी बाहर निकाला। युवती के शव को बाहर निकाल, मॉर्च्युरी में रखवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन इसका परिजनों ने विरोध किया। वे हत्या और रेप का मामला दर्ज करने का कहने लगे लेकिन पुलिस नहीं मानी। देर रात सेरूणा थाने के बाद लोग शामिल होकर विरोध प्रदर्शन कर धरना शुरू कर दिया। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने हत्या और रेप का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की।

स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को सामान्य शिक्षा में नियुक्ति की मांग खारिज

- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-सामान्य और विशेष शिक्षा के टीचर अलग-अलग

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के संशोधित नियम 266 को चुनौती देने वाली याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि सामान्य बच्चों को पढ़ाने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह अलग है, इसलिए दोनों के लिए अलग-अलग कैडर और योग्यता होना उचित है। राज्य को इन दोनों की अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार है।

जानकारी के अनुसार जोधपुर, उदयपुर और डीडवाना (नागौर) जिलों के प्रदीप गुर्जर, दिलीप कुमार, सुमन, मधु प्रजापत और संजय पंवार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के संशोधित नियम 266 को चुनौती दी थी। इसमें राज्य सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली और भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली को प्रतिवादी बनाया गया।

वकील ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशल एजुकेशन में एलिमेंट्री टीचर की योग्यता रखता है, तो उसे जनरल एजुकेशन के प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर पद के लिए भी योग्य माना जाना चाहिए। उन्होंने इसी आधार पर जनरल एजुकेशन के लिए जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी थी। वकील ने तर्क दिया कि विज्ञापन में एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं में उल्लेखित योग्यताओं को हटा दिया गया है। राज्य प्राधिकरण एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताओं से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि एनसीटीई कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने वाली प्राथमिक संस्था है।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने सही तरीके से पदों को जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में विभाजित किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हालांकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक के पद अध्यापन के लिए हैं, लेकिन विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण प्रक्रिया सामान्य शिक्षा से पूरी तरह अलग है। कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस तरह जनरल एजुकेशन के लिए ट्रेंड शिक्षक, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं होते, ठीक उसी तरह स्पेशल एजुकेशन में प्रशिक्षित शिक्षक, जनरल एजुकेशन के स्कूलों में पढ़ाने के पात्र नहीं हो सकते। एनसीटीई (एनसीटीई) की योग्यता के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता एक सामान्य नियम है, लेकिन राज्य सरकार को विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर चयन प्रक्रिया और योग्यता तय करने का अधिकार है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वास्तव में, एनसीटीई में विशेष शिक्षा की योग्यता केवल उन छात्रों को पढ़ाने के लिए हैं, जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा कि ये दो अलग-अलग वर्ग हैं और इसलिए राज्य द्वारा अलग चयन प्रक्रिया और अलग योग्यताएं बनाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि तर्कों के समय याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया, इसलिए कोर्ट ने एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताओं के विपरीत नियम 266 को अवैध मानने का कोई कारण नहीं पाया। कोर्ट ने रिट याचिका को गलत धारणा पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया।

कार्यालयः- सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय डी.बी. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, चूरू
Email-msdbhchuru@gmail.com, Phone: 01562-250333

क्रमांकः- लेखा/निविदा/2025/3506 दिनांकः- 01.12.25

-: खुली नीलामी बोली सूचना :-

इस चिकित्सालय को निम्न विवरणानुसार से सामग्री क्रय/कार्य हेतु वार्षिक दर संविदा/अनुबन्ध किया जाना है। अतः इच्छुक निविदादाताओं यथा-विर्निमाताओं/अधिकृत फर्मो/डीलरों/बोनाफाइड डीलर्स आदि से दो रूपों में निविदा प्रस्ताव यथा-तकनीकी प्रस्ताव व वित्तीय प्रस्ताव हेतु मुहरबन्द लिफाफों में निविदायें आमन्त्रित है। निविदा की शर्ते, निविदा शुल्क, अमानत राशि, अनुमानित लागत, ई निविदा प्रपत्र विक्रय/डाउनलोड कर प्रस्तुत करने/निविदा खोलने की तिथि व समय इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय कार्य दिवस/समय में और वैबसाईट sppp.rajasthan.gov.in पर देखनें / डाउनलोड करनें हेतु अपलोड कर दी गयी है।

क्र.सं.	निविदा सामग्री का विवरण	UBN No.
1	ABMGRSBY/अन्य योजनान्तर्गत मरीजों के ईलाज हेतु सर्जिकल शल्य उपकरण व इम्प्लांट क्रय की वार्षिक निविदा हेतु	MHS2526GLRC05292
2	चिकित्सालय उपचार में दैनिक उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं उपकरण क्रय	MHS2526GLRC05293

DIPR/C/17858/2025 सदस्य सचिव (RMRS) राजकीय डी.बी.सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, चूरू

RIICO राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005, फोन-0141-2227751,4593201
ई-मेल-riico@riico.co.in वेबसाइट-riico.rajasthan.gov.in

निविदा सूचना

रीको द्वारा निम्नांकित कार्यो/आपूर्ति/सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सीलबंद निविदाऐं एवं राशि रू. 2.00 लाख से अधिक की निविदाऐं ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती हैः-

इकाई का नाम, UBN एवं कार्य की राशि (लाख रू. में):- जयपुर(उत्तर)-औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा, जयपुर में मूलभूत सुविधाओं का विकास/उन्नयन कार्य। RDC2526WLOB01239(1410.88), RDC2526WSOB01240(5.02), RDC2526WSOB01286(3.30), RDC2526WSOB01287(9.62), भीलवाड़ा-औद्योगिक क्षेत्र पीपलुंद तहसील-जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा में सर्वेक्षण सीमांकन, समतलीकरण, सड़क और सीडी कार्यों का निर्माण और बाहरी सीमांकन दीवार का निर्माण का कार्य। RDC2526WLOB01276(1038.09), RDC2526WSOB01232(5.07), RDC2526WSOB01233(36.13), उदयपुर-औद्योगिक क्षेत्र मेवाड़ उदयपुर में बुनियादी ढाँचे का उन्नयन का कार्य। RDC2526WLOB01215(845.29), औद्योगिक क्षेत्र सुखेर उदयपुर में बुनियादी ढाँचे का उन्नयन का कार्य। RDC2526WLOB01216(512.85), RDC2526WSOB01217(467.49), RDC2526WSOB01269(76.57), सीकर-औद्योगिक क्षेत्र सीकर में आरसीसी नालियों के निर्माण का कार्य। RDC2526WLOB01244(807.00), RDC2526WSOB01203(210.58), RDC2526WSOB01204(120.00), RDC2526WSOB01198(2.41), RDC2526WSOB01199(11.54), RDC2526WSOB01200(3.60), RDC2526WSOB01201(10.73), RDC2526WSOB01202(2.92), भिवाडी-द्वितीय-औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा, आईआईडी सेंटर खुशखेडा, टपूकडा एवं कारोली का संचालन एवं रखरखाव का कार्य। RDC2526WLOB01245 (836.09), औद्योगिक क्षेत्र चोपानकी, पथरेडी और बन्दापुर का संचालन एवं रखरखाव का कार्य। RDC2526WLOB01246(513.45), औद्योगिक क्षेत्र करोली में बुनियादी ढाचे का उन्नयन का कार्य। RDC2526WLOB01248(2447.17), RDC2526WSOB01281(5.52), भिवाडी-प्रथम-औद्योगिक क्षेत्र कहारानी में इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन का कार्य। RDC2526WLOB01326(2979.27), RDC2526WSOB01316(14.21), RDC2526GLOB01320(65.20), RDC2526WSOB01322(57.60), RDC2526WSOB01323(4.74), किशनगढ- औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ चतुर्थ चरण में आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का कार्य। RDC2526WLOB01292 (519.79), बालोतरा-औद्योगिक क्षेत्र बोरावास-कलावा प्रथम चरण, बालोतरा में प्लग एवं प्ले मॉडल पर आधारित फैक्ट्री शेड के निर्माण का कार्य। RDC2526WLOB01332(1587.12), RDC2526WSOB01329(76.70), नीमराना-औद्योगिक क्षेत्र ईपीआईपी नीमराना, नीमराना-प्रथम, द्वितीय, एन.आई.सी.(एम) नीमराना एवं कोलिला जोगा के संचालन और रखरखाव से सम्बन्धित नियमित कार्य। RDC2526WLOB01272(554.68), RDC2526WSOB01247(3.00), RDC2526WSOB01249(78.24), RDC2526WSOB01250(136.53), RDC2526WSOB01251(19.93), RDC2526WSOB01252(11.40), RDC2526WSOB01253(11.40), RDC2526WSOB01254(3.47), RDC2526WSOB01256(102.98), RDC2526WSOB01258(143.05), RDC2526WSOB01259(123.94), भरतपुर-RDC2526WSOB01211(231.27), RDC2526WSOB01213(236.71), RDC2526WSOB01214(337.98), दौसा-RDC2526WSOB01218(482.00), RDC2526WSOB01205(182.55), बीकानेर-RDC2526WSOB01219(342.64), RDC2526WSOB01220(1.99), RDC2526WSOB01221(1.98), झुंझुनुं-RDC2526WSOB01242(248.08), अजमेर-RDC2526WSOB01241(229.38), RDC2526WSOB01290(4.01), RDC2526WSOB01289(2.39), RDC2526WSOB01335(12.25), जयपुर(ग्रामीण)-RDC2526WSOB01268(289.03), RDC2526WSOB01271(363.91), RDC2526WSOB01257(1.99), RDC2526WSOB01260(1.99), RDC2526WSOB01261(1.62), RDC2526WSOB01262(1.89), RDC2526WSOB01264(104.79), RDC2526WSOB01265(44.92), RDC2526WSOB01266(111.99), RDC2526WSOB01267(21.10), RDC2526WSOB01275(11.52), कोटा-RDC2526WSRC01255(415.48), RDC2526WSOB01263(108.84), RDC2526WSOB01270(108.63), RDC2526WSOB01273(67.40), RDC2526WSOB01274(3.38), RDC2526WSOB01291(29.87), जोधपुर-RDC2526WSOB01340(256.33), RDC2526WSOB01227(13.40), RDC2526WSOB01229(3.12), RDC2526WSOB01230(26.47), RDC2526WSOB01331(10.28), जयपुर(दक्षिण)-RDC2526WSOB01304(279.26), RDC2526WSOB01308(4.00), RDC2526WSOB01309(54.80), RDC2526WSOB01310(4.40), RDC2526WSOB01311(7.24), RDC2526WSOB01312(3.23), RDC2526WSOB01313(26.48), RDC2526WSOB01314(3.78), RDC2526WSOB01315(63.41), RDC2526WSOB01318(18.89), RDC2526WSOB01321(3.15), RDC2526WSOB01324(1.90), RDC2526WSOB01325(1.98), RDC2526WSOB01327(1.98), सवाईमाधोपुर-RDC2526WSOB01222(244.91), RDC2526WSOB01223(394.12), RDC2526WSOB01207(5.29), RDC2526WSOB01208(15.21), RDC2526WSOB01209(15.23), RDC2526WSOB01210(18.65), चूरू-RDC2526WSOB01224(123.37), RDC2526WSOB01225(66.89), RDC2526WSOB01226(69.69), RDC2526WSOB01228(74.88), RDC2526WSOB01231(4.26), नागौर-RDC2526WSOB01234(1.65), RDC2526WSOB01235(1.79), RDC2526WSOB01236(1.64), RDC2526WSOB01237(4.07), RDC2526WSOB01238(4.41), झालावाड़-RDC2526WSOB01277(64.46), RDC2526WSOB01278(9.28), RDC2526WSOB01279(20.74), RDC2526WSOB01280(4.73), RDC2526WSOB01282(12.29), RDC2526WSOB01283(4.13), RDC2526WSOB01285(2.06), अलवर-RDC2526WSOB01293(10.41), RDC2526WSOB01294(41.41), RDC2526WSOB01295(14.90), RDC2526WSOB01296(48.87), RDC2526WSOB01297(76.76), RDC2526WSOB01299(87.22), पाली-RDC2526WSOB01301(171.35), RDC2526WSOB01302(2.90), RDC2526WSOB01303(3.11), RDC2526WSOB01306(5.06), RDC2526WSOB01307(5.15), श्रीगंगानगर-RDC2526WSOB01298(3.51), RDC2526WSOB01300(2.28), आबूरोड़-RDC2526WSOB01317(9.57), RDC2526WSOB01319(35.05), जालोर-RDC2526WSOB01328(4.00), RDC2526WSOB01330(4.10), ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर-RDC2526WSOB01334(28.27), RDC2526WSOB01336(1.84), RDC2526WSOB01337(1.99), RDC2526WSOB01338(1.81), RDC2526WSOB01339(1.90), धीलोठ-RDC2526WSOB01341(9.64), RDC2526WSOB01342(1.82), सलाहकार (ए.एण्ड.एम.) रीको, उद्योग भवन, जयपुर-RDC2526SSOB01243(7.40)

कुल कार्यो की संख्या-139

निविदा का विस्तृत विवरण, नियम इत्यादि एवं भविष्य में निविदा में किसी प्रकार के संशोधन/तिथि बढ़ने की जानकारी हेतु वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in/ www.eproc.rajasthan.gov.in/ www.sppp.rajasthan.gov.in को देखें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: महाप्रबंधक (सिविल), फोन- 0141-4593214

Raj.Samwad/C/25/15257

हादसे में युवक की मौत, 11 दिसम्बर को होनी थी शादी

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के दरौली के पास फोरलेन हाईवे पर गुरुवार रात अपनी शादी का कार्ड देकर लौटते समय युवक की कार बेकाबू होकर दूसरी लेन में चली गई। इस पर ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक की 11 दिसंबर को शादी होनी थी।

हादसे में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मावली ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सिंह सारंगदेवोत (25) की इस सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के दौरान उनके साथ मौजूद उनके दोस्त लक्ष्मण सिंह भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। राहुल सिंह अपनी शादी का कार्ड भींडर में रिश्तेदार को देकर वापस अपनी कार से घर लौट रहे थे। तभी फोरलेन हाईवे पर कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ते हुए रॉन्ग साइड चली गई। रॉन्ग साइड जाते ही तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि कार की बॉडी आगे और पीछे से पूरी तरह पिचक गई। राहुल सिंह पिता प्रेम सिंह निवासी अचलाना मावली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत का पता लगते ही खुशियां बदली मातम में राहुल की मौत का पता लगने के बाद परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। 10 दिसंबर को बड़ा आयोजन होना था। वहीं 11 दिसंबर को निम्बाहेडा में बारात जानी थी। जैसे ही घर में घटना का पता लगा कि परिजनों की रुलाई फूट पड़ी।

आईटीबीपी जवान की सड़क हादसे में मौत

- मुकुंदगढ़ के पास घोड़ीवारा कलां में हुआ हादसा
- कार से लिफ्ट लेकर आ रहा था

मुकुंदगढ़, (निसं)। थाना इलाके में शुक्रवार अलसुबह हुए दर्दनाक हादसे में आईटीबीपी जवान की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार चिड़ावा के समीप स्वामी सेही गांव निवासी आईटीबीपी में कांस्टेबल अजीत सिंह अरूणाचल प्रदेश में तैनात था, जो 15 दिन की छुट्टी पर गांव आ रहा था। इसके लिए वह गुवाहाटी से प्लेन के जरिए जयपुर पहुंचा और जयपुर से सीकर तक बस में आया। लेकिन रात अधिक होने के बाद उसे चिड़ावा तक की बस नहीं मिली। तो उसने एक वैन वाले से लिफ्ट ली। घोड़ीवारा कलां स्थित बालाजी मंदिर के कुछ दूरी पर ही चालक ने वैन गाड़ी को आगे जा रहे बस के अंदर ठोक दिया। जिससे आईटीबीपी जवान स्वामी सेही निवासी 35 वर्षीय अजीत सिंह और वैन चालक हमीरवास थाना इलाके के भैंसली निवासी 25 वर्षीय मंदीप घायल हो गया।

दोनों को मुकुंदगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने अजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं मंदीप को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी।

इस मामले में मृतक जवान अजीत सिंह के परिजनों ने थाने में ट्रक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने और अचानक ब्रेक लगाने के कारण हादसे की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इधर, गमगीन माहौल में अजीत सिंह का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। आईटीबीपी जवानों की टुकड़ी ने गार्ड आफ आनर दिया और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों वाहनों को थाने में खड़ा किया गया है।

सर्पदंश से किसान की मौत

उनियारा/चौरू, (निसं)। उनियारा उपखण्ड अलीगढ़ तहसील क्षेत्र के पचाला में 4 दिसंबर की शाम खेत में सरसों की सिंचाई के दौरान सर्पदंश के कारण किसान जगदीश महावर (27) की मौत हो गई। यह हादसा 4 दिसंबर को शाम लगभग चार बजे हुआ, जब जगदीश अपने खेत में सरसों की फसल को पानी पिला रहे थे। उसी दौरान एक जहरीले सर्प ने उन्हें डस लिया। परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर पहुँचाया। हालांकि, जहर के तेज़ी से फैलने के कारण डॉक्टरों के सभी प्रयास विफल रहे और जगदीश को मृत घोषित कर दिया गया। जगदीश की मौत से उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके माता-पिता पहले ही गुजर चुके थे और अब परिवार में केवल उनकी पत्नी और उनकी दो छोटी-छोटी बेटियाँ ही बची हैं। जगदीश परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। इससंकट की घड़ी में पूर्व सरपंच बद्रीलाल एवं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि इस परिवार को तुरंत सरकारी सहायता और मुआवजा प्रदान किया जाए।

दो दिन से लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला

सुलताना, (निसं)। सुलताना थाना इलाके के जोड़िया रोड स्थित झाड़वाली जोहड़ी में एक युवक का शव रस्सी से बनाए गए फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिसकी पहचान रायपुर जाटान निवासी अंकित कुमावत के रूप में हुई है, जो पिछले दो दिनों से गायब था, जिसकी तलाश ना केवल घरवालों को, बल्कि पुलिस को भी थी। क्योंकि दो दिन पहले घर से गायब होने के कुछ देर बाद मृतक अंकित ने परिजनों को व्हाट्स एप पर मैसेज कर अपनी आत्महत्या की जानकारी दी थी। इसके बाद से अंकित का फोन बंद था।

जानकारी के अनुसार रायपुर जाटान निवासी अंकित कुमावत और उसके दोस्तों के बीच दो दिसंबर से विवाद चल रहा है। एक मोबाइल चोरी के मामले में अंकित को उसके दोस्तों ने ना केवल दोषी बना दिया, बल्कि उससे कबूल भी करवा दिया, जिसके बाद से अंकित तनाव में था। दो दिसंबर की रात को अंकित घर भी गया तो तनाव में था। तीन दिसंबर को सुबह अंकित घर पर बिना बताए चला गया। इसके कुछ घंटों बाद उसने अपनी बहनों और एक चचेरे भाई को व्हाट्सऐप पर मैसेज किया। जिसमें उसने बताया कि वह आत्महत्या कर रहा है। उसने तीन जनों के नाम कर्मपाल, नरेंद्र उर्फ नोलिया तथा धर्मेंद्र कुमावत के नाम लिखे और कहा कि इन्होंने अंकित को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। वह इन तीनों को मार भी सकता था, लेकिन वह अपने परिवार के लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वह खुद मर रहा है। उसने मैसेज में यह भी लिखा कि जब तक इन तीनों को सजा नहीं होगी, तब तक उसका बदला अधूरा है। साथ ही तब तक अपनी अस्थियां भी गंगा में विर्सजन ना करने की बात लिखी। इस मैसेज के बाद परिजनों ने अंकित की तलाश शुरू कर दी। अंकित की गुमशुदगी रिपोर्ट भी थाने पर दी, लेकिन अंकित का कहीं अता-पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह अंकित का शव सुलताना थाना क्षेत्र में पेड़ पर झूलता हुआ मिला। पुलिस ने इस मामले में उप जिला अस्पताल चिड़ावा में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अंकित पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसकी अचानक हुई मौत से परिवार में मातम छा गया है।

सुलताना सीआई रविंद्र सिंह ने बताया कि जब युवक के फंदे पर झूलते हुए की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास से उसका मोबाइल मिला। जो बंद था और बैट्री भी डाउन थी। मोबाइल को चार्ज कर ओन किया तो मृतक के भाई का फोन आ रहा था, जिसे इसकी सूचना दी गई। इसी सूचना के बाद परिजनों के आने पर मृतक की पहचान हो सकी।

बस की चपेट से बालक की मौत

नवलगढ़, (निसं)। शहर के झाझड़ रोड चूंगी के पास बस की चपेट में आने से मासूम बच्चे मयंक की मौत हो गई। नवलगढ़ उपखंड के बसावा गांव में राजेश दूत व विद्या देवी की शादी के 11 साल बाद पुत्र मयंक के रूप में गूंजी किलकारी मात्र 13 महीने में खामोश हो गई। मृतक मासूम मयंक की माता विद्या देवी का पीहर नवलगढ़ के झाझड़ रोड चुंगी के पास बिरोल गांव के झाझड़िया की ढाणी में है। विद्या देवी अपने पुत्र मयंक के साथ पीहर आई हुई थी। झाझड़ रोड पर खेत में बने घर और सड़क की तरफ खुलती दुकान में मामा राजेश झाझड़िया के पास शुक्रवार सुबह मयंक खेल रहा था। मामा राजेश किसी काम से बाहर चला गया और मयंक को दुकान में अपने पिता व भाई के पास छोड़ गया। दुकान के सामने मयंक खेल रहा था जो मैन रोड से काफी अंदर था। इसी दौरान नवलगढ़ से ग्रामीण रूट द्वारा सीकर की ओर जा रही सवारियों से भरी बस लहराती हुई आई और सड़क किनारे से दूर खेल रहे मयंक को रौंदती हुई निकल गई। हाथोंहाथ बच्चे को लेकर परिजन जिला अस्पताल नवलगढ़ पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

कार्यालय नगर परिषद लालसोट(दौसा)
Email ID:-lalsot.jaipur@yahoo.com Ph-01431-260714

क्रमांकः-न.प.ला./25/4652 दिनांकः- 01.12.2025

निविदा-सूचना NIB-03/2025-26

नगर परिषद लालसोट द्वारा संवेदकों/संस्थाओ को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये विभिन्न कार्यो हेतु मोहरबन्द निविदाये दिनांक 09.12.2025 आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बधिंत सभी विवरण व शर्ते कार्यालय समय एवं वेबसाईट http://www.sppp.rajasthan.gov.in पर दिनांक 02.12.2025 से देखी जा सकती है।

UBIN NO. DLB2526SSOB26063

राज.संवाद/सी/25/15190 आयुक्त नगर परिषद लालसोट

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, बीकानेर

क्रमांकः-अअ/वि.खण्ड/बी./ निविदा/2025-26/1045 दिनांकः 27.11.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 28 / वर्ष 2025-26
(NIB Code No PWD2526A4517)

निम्न हस्ताक्षर कर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युतीकरण कार्यों के लिए मोहरबन्द निविदाएं सा.नि.वि., राज मे सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आवेदन / डाउनलोड करने की दिनांक 28.11.2025 से 12.12.2025 तक सांय 6.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 15.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेंगी। प्री-बिड मिटिंग की दिनांक 04.12.2025 दोपहर 01.00 बजे है। निविदा की अन्य शर्तें एवं स्वीकृत तकमीना आदि का विवरण किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्ते व विवरण इस कार्यालय में व डीपीआर की वेबसाईट www.dipronline.org, http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। कुल कार्यो की संख्या 01 कुल लागत 179.46 लाख। UBN No. 1 PWD2526WSOB17866

(मनोज कुमार रावत) अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. विद्युत खण्ड, बीकानेर

DIPR/C/17747/2025

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक करौली (राज0)
केशवपुरा पुलिया मण्डरायल रोड करौली E-Mail :- adpcsamsakarauli@gmail.com

क्रमांक :- एडीपीसी/समग्र शिक्षा/करौली/Civil/2025-26/443 दिनांक :- 01.12.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02 (सिविल)/2025-26
(राजकीय विद्यालयों में मरम्मत कार्यो हेतु)

राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में मरम्मत कार्यो हेतु पंजीकृत संवेदकों से आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा (एस.डी.आर.एफ) योजनान्तर्गत स्वीकृत 732 राजकीय विद्यालय मरम्मत कार्यो हेतु राशि रू 1442.04 लाख (प्रति कार्य की राशि रूपये 1.97 लाख) बाबत् कार्यवार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ई-निविदाऐं 09/12/2025 प्रातः 10.00 बजे से 23/12/2025 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा से सम्बधित समस्त विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एव http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

यू.बी.एन. नं RSE2526WLRC04935

राज.संवाद/सी/25/15252 अति0 जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा करौली

कार्यालय नगरपरिषद, करौली (राज0)
फोन न0 07464-294024 ई-मेल आईडी np.karauli@yahoo.com website - www.npkarauli.in

क्रमांक : 3863 दिनांक : 28.11.2025

ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण एवं पंजीकृत अनुभवी संवेदकों/सप्लायर्स/प्लेसमेंट एजेंसियों को सूचित किया जाता हैं कि नगरपरिषद करौली में वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक ठेके/अनुबंध किये जाने है। जिस हेतु ई-टैण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 18.12.2025 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विवरण व शर्ते www.sppp.raj.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

S. No.	Particulars	Detail				
1	Name of Works	ऑटो टिपर/बाईक रिक्शा/डम्पर प्रेशर/रोड स्वीपर/ट्रैक्टर ड्राईवर एवं जेसीबी ऑपरेटर लगाने का कार्य	सहा0कर्म0/तामील कुलिन्दा/बागवान/चौकीदार/कनि0 सहा0 लगाने का कार्य	परिषद में कार्यालय उपयोग हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर लगाने का कार्य	परिषद में फायरमैन व फायर वाहन चालक उपलब्ध कराने का कार्य	आश्रय स्थल पर केयर गिवर्स/शैल्टर मैनेजर लगाने का कार्य
2	Estimate Cost of Tender	25.00	25.00	20.00	20.00	4.50
3	Earnest money (EMD) 2%	50000/-	50000/-	40000/-	50000/-	9000/-
4	Cost of tender document (non-refundable) In favor of Commissioner Municipal Council Karauli Payable at Karauli	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	500/-
5	RISL Processing Fees (non-refundable) In favor of MD RISL Payable at Jaipur.	500/-	500/-	500/-	500/-	500/-
6	Tender Publication on official web site http;//eproc.rajasthan.gov.in	02.12.2025 Time 2:00 PM				
7	Tender download start date	Date 02.12.2025 Time 2:00 PM				
8	Bid Submission start date & Time	Date 02.12.2025 Time 2:00 PM To Date 23.12.2025 Time 6:00 PM				
9	Online Bid Submission End date & Time	Date 23.12.2025 Time 6:00 PM				
10	Technical bid opening date & Time	Date 24.12.2025 Time 2:30 PM				
11	UBN No.	DLB2526SLRC25827	DLB2526SLRC25850	DLB2526SLRC25857	DLB2526SLRC25862	DLB2526SSRC25867

निविदादाताओं को निविदा शुल्क/बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। ई-टेण्डरिंग में न्यूनतम दर को स्वीकार की जायेगी।

राज.संवाद/सी/25/15229 सभापति आयुक्त